Ethical Trading Initiative

Respect for workers worldwide

क्या आप सिलीकोसिस से ग्रसित है ?

उपचार एवं पुर्नवास हेतु आवश्यक प्रक्रिया

एथिकल ट्रैडिंग इनिशिएटीव द्वारा समर्थित एक अभियान

यदि यह सिलिका है तो
इसे केवल धूल न समझे ।

क्या आप ?

5 से अधिक वर्षों से पत्थर की खदानों, पत्थर कटाई के कारखानों या इस उधोग से जुडे अन्य बुनियादी कार्यों से जुडे हैं ?

क्या आपको निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं ?

- तीन सप्ताह से अधिक समय से खांसी ।
- बुखार ।
- वजन धटना ।
- रात में पसीना आना ।
- सीने में दर्द ।
- सांस लेने में तकलीफ ।
- कार्य के दौरान कमजोरी महसूस करना ।
- आपके चिकित्सक द्वारा सुझाये गये ईलाज के बाद भी उपरोक्त समस्याओं से राहत नही मिल पा रही है ?

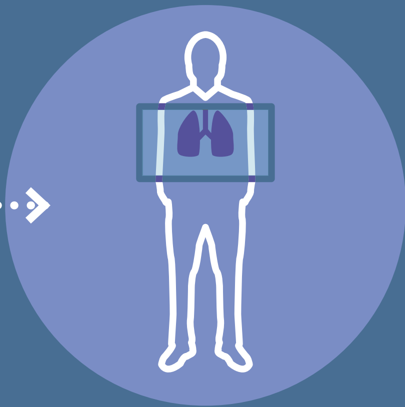

पहला चरण

- अपने नजदीकी जिला क्षय रोग अस्पताल से सर्म्पक करे ।
- अपनी स्वास्थ्य समस्या और अपने कार्य का अतीत चिकित्सक से सांझा करे ।

  (आपके रोजगार से आपकी बीमारी का सम्बंध हो सकता है)

दूसरा चरण

- इसी दिन संदिग्ध रोगियों को चिकित्सक द्वारा बलगम की जॉच एवं छाती का एक्स-रे करवाने के लिए कहा जाऐगा ।

  (आपकी बीमारी के सही आंकलन हेतु आपकी छाती का एक्स-रे आवशयक होगा)

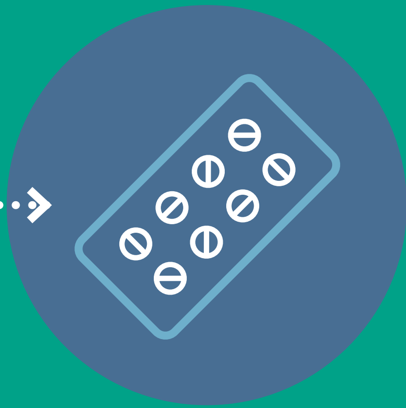

तीसरा चरण

- आप चिकित्सक के पर्चे को लेकर अपने जिला क्षय रोग अस्पताल की प्रयोगशाला में जाए और बलगम का नमूना दे तथा छाती का एक्स-रे करवाए ।
- बलगम की जॉच एवं एक्स-रे जिला क्षय रोग अस्पताल में उसी दिन करवाया जायेगा एवं यह पूरी तरह से मुफ्त (फ्री) होता है।
- आप अगले दिन ही जिला क्षय रोग अस्पताल से अपनी जॉच रिर्पोट और एक्स-रे प्राप्त कर सकते हैं।
- अपनी सभी रिपोर्टोए एक्स-रे एवं चिकित्सक द्वारा प्रथम दिन लिखे पर्चे को लेकर उन्ही चिकित्सक से दुबारा सर्म्पक करें ।

चौथा चरण

- चिकित्सक द्वारा उचित जॉच के पश्चात वह आपको उपयुक्त दवाईयॉ लिख सकते हैं तथा कुछ सावधानियॉ बरतने का सुझाव भी दे सकते हैं।
- आपको लिखी गई दवाईयॉ जिला क्षय रोग अस्पताल से मुफ्त (फ्री) में प्राप्त होती है।
- चिकित्सक द्वारा जॉच पे आधारित संभावित सिलिकोसिस रोगियों को आपके जिले़ से सम्बन्धित न्युमोकोनोसिस बोर्ड को रेफर किया जाएगा ।
- अपने चिकित्सक से सम्बन्धित न्युमोकोनोसिस बोर्ड का पता एवं फोन नम्बर जरूर प्राप्त करे ।

(आप सम्बन्धित न्युमोकोनोसिस बोर्ड का पता एवं फोन नम्बर की जानकारी हेतु इस परचें के अन्त में छपें नम्बरों पर भी सर्म्पक कर सकते है)

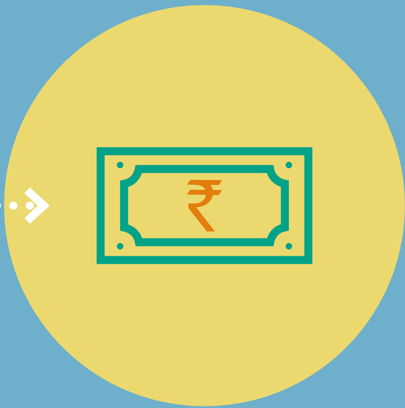

पाँचवा चरण

- आप जिला क्षय रोग अस्पताल के क्षय एवं छाती रोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) द्वारा लिखे गये सभी पर्चे, रेफरल स्लीप, स्वास्थ्य जॉच की रिर्पोट, एक्स-रे एवं अन्य दस्तावेजों को लेकर न्युमोकोनोसिस बोर्ड से सर्म्पक करें ।
- सिलिकोसिस से पीडित संदिग्ध रोगियों का न्युमोकोनोसिस बोर्ड के स्वास्थय विशेषज्ञों द्वारा एक बार पुनः स्वास्थय मुआयना किया जायेगा। विशेषज्ञ यह प्रमाणित करते हैं कि मरीज सिलिकोसिस से पीडित है या नही ‘और यदि है तो मरीज इस रोग से कितना प्रभावित है।
- सिलिकोसिस से पीडित रोगी को न्युमोकोनोसिस बोर्ड द्वारा रोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें चार से छह हफ्ते का वक्त लग सकता है।

छठा चरण

- सिलिकोसिस से पीडित व्यक्ति वित्तीय राहत के लिये न्युमोकोनोसिस बोर्ड द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की कॉपी एवं एक लिखित आवेदन अपने जिले के कलेक्टर को दे।
- लाभर्थियों को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा चेक के माध्यम से 3 लाख रूपये तक की राशि राहत स्वरूप प्रदान की जा सकती है। इस प्रक्रिया में 2-3 महीनों का समय लग सकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृप्या सम्पर्क करें।